निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 5/2014 तारीख दायरा 08.01.2014

उनवान

रामकन्या पत्नी बद्रीलाल जाति खाती निवासी ग्राम लटूरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। —वादी

बनाम

1. किशनबाई पुत्री छोगा पत्नी चौथमल जाति खाती निवासी ग्राम बम्बोरी तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
2. मूलीबाई बेवा छोगा जाति खाती निवासी ग्राम कराडिया तहसील अटरू जिला बारां।
3. ओमप्रकाश पुत्र मथुरालाल जाति खाती निवासी ग्राम लटूरा तहसील सांगोद जिला कोटा।
4. सीताराम पुत्र नन्दा जाति खाती।
5. हेमराज पुत्र नन्दा जाति खाती।
6. सत्यनारायण पुत्र नन्दा जाति खाती।
7. बलराम पुत्र नन्दा जाति खाती।
8. भूलीबाई बेवा नन्दा जाति खाती निवासीगण 1216 बी श्रीनाथपुरम कोटा ।
9. राजेन्द्र पुत्रनन्दा जाति खाती निवासी लटूरा तहसील सांगोद।
10. रामनाथी पुत्री नन्दा पत्नी जगदीश जाति खाती निवासी पार की दीगोद तहसील किशनगंज जिला बारां।
11. रामप्यारी पुत्री नन्दा पत्नी बृजमोहन जाति खाती निवासी बल्लभपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा।
12. रामस्वरूप पुत्र बंशीलाल जाति धाकड निवासी लटूरा तहसील सांगोद।
13. रामकंवरी पत्नी रामस्वरूप जाति धाकड निवासी लटूरा तहसील सांगोद जिला कोटा।
14. जमनाबाई पुत्री मथुरालाल पत्नी बाबूलाल जाति खाती निवासी चन्द्रशेखर कोलोनी अस्पताल के पीछे छबडा।
15. ललितकिशोर पुत्र घनश्याम जाति ब्राम्हण निवासी म0न0 [illegible] शवपुरा सेक्टर 7 कोटा जिला कोटा।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। — प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:20:37 IST
Reason: SelfAttested

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,209 आर.टी. एक्ट 1955

उपखण्ड अधिकारी

उपस्थित :–वादी की ओर से:– श्री दशरथ सिंह एडवोकेट

प्रतिवादीन01,3,8,9,11,12,13,की ओर से :– श्री मोहनलाल पोटर एडवोकेट

प्रतिवादीन015 की ओर से:– श्री नरेश कुमार गौतम एडवोकेट

प्रतिवादीन02,4,5,6,7,10,14की ओर से:– एक तरफा

प्रतिवादीन016 की ओर से:– पैरोकार सरकार

––निर्णय–– दिनांक:–12.04.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया, कि प्रतिवादी कम 3 ओमप्रकाश के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी सम्वत 2058 से 2077 की जमाबन्दी के अनुसार माल ग्राम लटूरा तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स. नई 20 के खसरा न.103 की 0.29 हैक्टर, खसरा न.126 की 0.83 हैक्टर, खसरा न.127 की 0.01 हैक्टर, खसरा न.128 की 0.16 हैक्टर, खसरा न.129 की 0.33 हैक्टर, खसरा न.130 की 0.24 हैक्टर, खसरा न.158 की 0.17 हैक्टर, खसरा न.199 की 0.23 हैक्टर, खसरा न.200 की 0.50 हैक्टर कुल 9 किता की कुल 2.76 हैक्टर आराजियात मे निहित सम्पूर्ण हिस्सा वादिनी ने जरिये विकय विलेख दिनांक 29.10.2007 को कय किया था, जिसका पंजीयन कार्यालय सांगोद में पंजीयन करवाकर उक्त पंजीयन शुदा दस्तावेज के आधार पर पटवारी हलका लटूरा में इन्तकाल खुलवाने के लिए पेश किया। उक्त दस्तावेज के आधार पर पटवारी हलका लटूरा द्वारा वादिनी के हक में इन्तकाल न0 64 दिनांक 13.8.2008 तस्दीक करके नकल जमाबन्दी सम्वत 2062 से 2065 में नामान्तरण स0 64 दिनांक 13.8.2008 से विकेता ओमप्रकाश के हिस्से 3/32 पर कन्याबाई पत्नी बद्रीलाल खाती हिस्सा 3/32 दर्ज करने का आदेश हुआ, जो अमल हो गया था। वादिनी द्वारा पटवारी हलका से किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु अपने खाते की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 की नकले लेने गये, तो बिना वैधानिक रूप से बंटवारा हुए बिना ही एक ही खाते की 2 जमाबन्दी बना दी गई। जिसमे एक जमाबन्दी खाता स0 9 की कॉलम स0 4 में वादिनी का 3/32 हिस्सा जो दर्ज था, जो [illegible] छूट गया है केवल मात्र खाता स0 10 में ही नाम दर्ज किया है, जबकि विकय विलेख के अनुसार जमाबन्दी स0 9 व 10 दोनो में ही वादिनी का नाम 3/32 हिस्से पर दर्ज किया जाना चाहिए था, वादिनी उक्त खरीदशुदा हिस्से पर वक्त खरीद से शांति पूर्वक काबिज काश्त करती चली आ रही है तथा ओम प्रकाश पुत्र मथुरालाल द्वारा वादिनी को आराजी विकय करने के बाद भी राजस्व रेकार्ड में उसका नाम पूर्ववत दर्ज है, जिसे हटाया जाकर विकय विलेख के आधार पर वादिनी का नाम दर्ज किया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है। वादिनी द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकलें प्राप्त करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:20:37 IST
Reason: SelfAttested

बाद उक्त गलती की जानकारी हुई, जिसके बाद वादिनी द्वारा तहसीलदार साहब से उक्त विक्रय विलेख के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अमल करने व पूर्व के गलत इन्तकाल न0 64 में संशोधन करने की कहने पर उनके द्वारा न्यायालय में जाकर कार्यवाही करने की कहने से माननीय न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक होने से वादिनी द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत किये जाने पर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी सं.1 की ओर से वकील श्री महेश कुमार तिवारी द्वार वकालतनामा प्रस्तुत किया गया परन्तु काफी समय व्यतीत होने पर भी प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः प्रतिवादी सं.1 का जवाब बंद किया जाता है। प्रतिवादी सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी सं.2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी द्वारा एकतरफा बहस की गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद वादी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

वादिनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। जिसमे प्रतिवादी न.1, 3, 8, 9, 11, 12, 13 की ओर से वकील श्री मोहनलाल पोटर एडवोकेट द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया तथा वादिनी के वाद का समर्थन करते हुए वाद को डिकी किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की गई। प्रतिवादी न. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14 बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी न.15 की ओर से वकील श्री नरेश कुमार गौतम द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया, जिसे बाद में नोटप्रेस पर खारिज करवा लिया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी न.16 की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें प्रकरण स्वीकार करने पर राजहित प्रभावित नहीं होना व्यक्त किया। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण मे तनकी कायम किया जाना उचित नहीं समझते है। वकील वादिनी द्वारा वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:20:37 IST
Reason: SelfAttested

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन कि[illegible]। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबंदी, इकबा[illegible] शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन करने तथा बहस वकील वादिनी सुनने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम लटूरा तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स. नई 20 के खसरा न.103 की 0.29 हैक्टर, खसरा न.126 की 0.83 हैक्टर, खसरा न.127 की 0.01 हैक्टर, खसरा न.128 की

0.16 हैक्टर, खसरा न.129 की 0.33 हैक्टर, खसरा न.130 की 0.24 हैक्टर, खसरा न.158 की 0.17 हैक्टर, खसरा न.199 की 0.23 हैक्टर, खसरा न.200 की 0.50 हैक्टर कुल 9 किता की कुल 2.76 हैक्टर आराजियात में निहित सहखातेदार प्रतिवादी न.3 के सम्पूर्ण हिस्सा वादिनी ने जरिये विक्रय विलेख दिनांक 29.10.2007 से खरीदशुदा 3/32 हिस्सा को वर्तमान जमाबन्दी संख्या 9 खसरा न. 103, 126, 129, 130, 199, 200 कुल 6 किता की 2.42 हैक्टर आराजी में दर्ज करते हुए वादिनी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तथा जमाबन्दी खाता स.10 के राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी न.3 ओमप्रकाश का नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है तथा इन्तकाल न.64 को प्रभावशून्य घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहनभार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:20:37 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद